पत्र संख्या–वि0व0संग्रह / 2019–20 / 590 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर,उ0प्र0।
(संग्रह अनुभाग)
लखनऊः दिनॉकः : 30 जुलाई , 2019

समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

कृपया मुख्यालय के पत्र संख्या–150 दिनांक 30.05.2013 के क्रम में राजस्व जनपदों में शासन की मंशा के अनुरूप बकाया वसूली सुनिश्चित कराने हेतु जिला प्रशासन/अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) एवं विभागीय अधिकारियों के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु कर निर्धारण कार्य में तैनात वरिष्ठम डिप्टी कमिश्नर को नोडल अधिकारी नामित कर नाम व पदनाम मुख्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश प्रदत्त थे।

तत्क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष में कई अधिकारियों का स्थानान्तरण अन्य जनपदों में हो जाने के कारण इनके स्थान पर अन्य अधिकारियों को नामित किये जाने की आवश्यकता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने सम्भाग से सम्बन्धित राजस्व जनपदों के लिए जिनमें उक्त स्थिति हो के एवं अन्य जनपदों में भी कर निर्धारण कार्य में तैनात वरिष्ठतम डिप्टी कमिश्नर को नोडल अधिकारी नामित कर सूचना मुख्यालय को दिनांक 31.07.2019 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। नामित डिप्टी कमिश्नर मुख्यालय के पत्र संख्या–150 दिनांक 30.05.2013 (प्रति पृष्ठ भाग पर) के द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्राथमिकता के आधार पर कराना सुनिश्चित करेंगे।

(सुधा वर्मा)
एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन)
वाणिज्य कर, उ0प्र0।

<u>पृ0प0सं0 व दि0 उक्त–</u>

प्रतिलिपिः–सम्बन्धित जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।

29/7/19
एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन)
वाणिज्य कर, उ0प्र0।

पत्र स0 वि0व0 संग्रीह -सामान्य निदेश / 13-14 / 150

वाणिज्य कर
कार्यालय कमिश्नर,वाणिज्य कर,उ0प्र0
(संग्रह अनुभाग)
लखनऊ दिनांक मई 30 2013

संमस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0)
वाणिज्य कर,उ0प्र0 लखनऊ।

वित्तीय वर्ष 13-14 के माह अप्रैल में बकाया वसूली के प्राप्त आंकडों की समीक्षा पर पाया गया कि विभागीय वसूली वाले जनपदों में बकाया वसूली (कुछ जनपदों को छोडकर) गत वर्ष की तुलना में प्रगतिशील रही है जबकि राजस्व जनपदो में बकाया वसूली की प्रगति गत वर्ष की तुलना में सन्तोषजनक नही है। अतः राजस्व जनपदों में शासन की मंशा के अनुरुप बकाया वसूली सुनिश्चित कराने हेतु जिला प्रशासन / अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) एवं विभागीय अधिकारियों के मध्य समन्वय स्थापित किया जाना आवश्यक है जिससे कि उनका सहयोग प्राप्त करके बकाया वसूली के निर्धारित लक्ष्य की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके।

अतः आपको निर्देश दिये जाते है कि प्रत्येक राजस्व जनपद (विभागीय वसूली के 20 जनपदो को छोडकर) में कर निर्धारण में तैनात वरिष्ठतम डिप्टी कमिश्नर को नोडल अधिकारी नामित करें जो प्रत्येक सप्ताह जनपद के जिलाधिकारी / अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) से सम्पर्क स्थापित कर बकाया वसूली में अपेक्षित सुधार लाने हेतु हर संभव प्रयास करते हुए विशेष कर बडे बकायेदारों / चालू फर्मो से यथा संभव शत-प्रतिशत वसूली कराना सुनिश्चित करें। बकाया वसूली की समीक्षा हेतु प्रगति रिपोर्ट पाक्षिक रुप से ज्वा0कमि0 (कार्य0) वाणिज्य कर अपने स्तर से पक्ष समाप्ति के अगले तीन दिनों में मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। जिन जनपदों का कार्य सन्तोषजनक नही पाया जायेगा वहाँ के सम्बन्धित नोडल अधिकारी / ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) को कार्य में शिथिलता बरतने हेतु दोषी मानते हुए मुख्यालय स्तर से उनके विरुद्ध कार्यवाही करने पर भी विचार किया जा सकता है।

कृपया नामित नोडल अधिकारी का नाम तथा पदनाम मुख्यालय को दिनांक 10-6-13 तक अवश्य सूचित करना सुनिश्चित करें। उक्त निर्देशो का पालन कड़ाई के साथ किया जाये।

29.5.13
(बी0राम शास्त्री)
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश लखनऊ

पृ0प0 संख्या व दिनांक उक्त -
प्रतिलपि-
1- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर उ0प्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

ज्वाइन्ट कमिश्नर,(संग्रह) वाणिज्य कर
मुख्यालय